कार्यवाही रजिस्टर

प्रमाणित किया जाता है कि इस कार्यवाही रजिस्टर मे 01 से लेकर तक पृष्ठ है तथा जिसमें से कोई पेज कटा व फटा हुआ नही है।

[signature]

अध्यक्ष

मीटिंग कार्यवाही

आज दिनांक 16.02.2024 को साधारण सभा की सामान्य बैठक का आयोजन पूर्व एजेण्डा के अनुसार किया गया जिसकी अध्यक्षता श्री सागर बजाज ने की कोरम 2/3 से अधिक रहा अतः कार्यवाही शुरु की गयी।

प्रस्ताव नं० 1

संस्था के नाम व पते के सम्बन्ध में:-	बैठक में श्री सागर बजाज नें अवगत कराया कि क्षेत्र में सामाजिक एवं शिक्षा विकास हेतु एक समिति का गठन कर लिया जायें जिससे क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में सहयोग प्रदान किया जा सकें, इसके लिये संस्था का नाम एलुमिनी एसोसिएशन ऑफ दमयंती राज आनंद राजकीय स्नातकोत्तर महा-विद्यालय बिसौली, बदायूँ, रामलीला ग्राउंड के सामनें, बिसौली बदायूँ पिन - 243720 रखना उचित होगा जिसका अनुमोदन श्री कपिल कथूरिया ने किया प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास हुआ।

प्रस्ताव नं० 2

साधारण सभा की सदस्यता पर विचार:-	बैठक में श्री कपिल कथूरिया ने अवगत कराया कि संस्था की साधारण सदस्यता लेने

1- श्री सागर बजाज, 2- श्री गौरव पाठक, 3- श्री कपिल कथूरिया, 4- अंशिका वार्ष्णेय, 5- श्री सक्षम सक्सेना, 6- श्री शिवम् वार्ष्णेय, 7- श्री रविकांत श्री वास्तव आदि के प्रार्थना पत्र आये है उन सभी को साधारण सभा की सदस्यता गृहण करा दी जाये इस पर श्री सक्षम सक्सेना ने अपनी सहमति व्यक्त करते हुये कहा कि जिन सदस्यों के प्रार्थना पत्र आये है उनको सदस्यता दे दी जाये, प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास हुआ।

प्रस्ताव नं० 3

संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति के गठन के सम्बन्ध में:-	संस्था के नाम व पते पर सहमति हो जाने के बाद श्री सक्षम सक्सेना ने अवगत कराया कि संस्था के कार्य सुचारु रूप से चलाने हेतु संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का गठन कर लिया जाये जिसका अनुमोदन सभा में उपस्थित सभी सदस्यों ने किया और प्रबन्ध समिति का गठन निम्नवत हुआ।

1.	अध्यक्ष	श्री सागर बजाज
2.	उपाध्यक्ष	श्री गौरव पाठक
3.	मंत्री	श्री कपिल कथूरिया
4.	कोषाध्यक्ष	अंशिका वार्ष्णेय
5.	सदस्य	श्री सक्षम सक्सेना
6.	सदस्य	श्री शिवम् वार्ष्णेय
7.	सदस्य	श्री रविकांत श्रीवास्तव

प्रस्ताव नं० 4

संस्था के स्मृति पत्र व नियमावली को अंकित करने के सम्बन्ध में:-	संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का गठन हो जाने के उपरान्त बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि संस्था के उद्देश्यों हेतु स्मृति पत्र तथा नियमों हेतु नियमावली को कार्यवाही रजिस्टर में लिपिबद्ध कर तत्पश्चात टंकित कराकर कार्यालय में पंजीकरण हेतु प्रेषित की जायें।

अन्त में बैठक की कार्यवाही पूर्ण की गयी व अन्य कोई प्रस्ताव न होने पर सभा समाप्त की गयी।

✳ स्मृति-पत्र ✳

- संस्था का नाम – एलुमिनी एसोसिएशन ऑफ दमयंती राज आनंद राजकीय महाविद्यालय बिसौली बदायूँ
- संस्था का पता – रामलीला ग्राउंड के सामने, बिसौली, बदायूँ Budaun, 243720
- संस्था का कार्यक्षेत्र – समस्त उत्तर प्रदेश
- संपर्क संख्या – 7409224954
- संस्था के उद्देश्य – ये उद्देश्य, बहुउद्देशीय, शिक्षा के लिये, से सम्बंधित है-

1. कार्यक्षेत्र में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना एवं सामान्य जनता की भलाई के लिये कार्य करना तथा उनका सामाजिक, नैतिक, शैक्षिक, बौद्धिक, रचनात्मक एवं कलात्मक उन्नति का समुचित प्रयास करना।
2. संस्था की उन्नति के लिये जिला परिषद, राज्य परिषद, केन्द्र सरकार व अन्य सरकारी व अर्द्धसरकारी विभागों से सम्बन्ध स्थापित कर ऋण एवं अनुदान प्राप्त कर उद्देश्य पूर्तियों में लाना।
3. पुस्तकालय एवं वाचनालय खोलकर पुस्तकों आदि को उपलब्ध कराना, संस्था समाजसेवा हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त कर संस्था के विकास

हेतु उपयोग करना।

4. वर्तमान पद्धति पद्धारा बालक बालिकाओं को संस्था परिसर में निःशुल्क मोबाइल रिपेयरिंग, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, कम्प्यूटर हार्डवेयर, फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटीशियन आदि का प्रशिक्षण प्रदान करना एवं कम्प्यूटर केन्द्रों की स्थापना कर संचालन करना तथा उत्साहवर्धन करना।
5. पर्यावरण कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्यावरण सुधार, वायु प्रदूषण आदि पर गोष्ठी सेमीनार, पदयात्रा, प्रचार प्रदर्शनी, कवि सम्मेलन आदि का आयोजन कर प्रदूषण को नियन्त्रित करना तथा वृक्षारोपण करना।
6. समय-समय पर केन्द्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा आधुनिक शिक्षा के विकास एवं बेरोजगारी को दूर करने सम्बन्धी कल्याणकारी योजनाओं को अपनाना तथा शिक्षा द्वारा उनके क्रियान्वन मे सहयोग करना।
7. सभी के स्वास्थ्य के मद्देनजर निःशुल्क स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों का संचालन करना, खेलकूद कार्यक्रम, प्रतिरक्षण कार्यक्रम, व्यायामशाला, निःशुल्क स्वास्थ्य मेला, जागरूकता कार्यक्रम एवं एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, कैंसर नियंत्रण एवं अन्य निःशुल्क स्वास्थ्य सम्बन्धी नीतियों का प्रचार प्रसार करना।

8. देश विदेश में मानव समाज पर आने वाली प्राकृतिक तथा क्षेत्रीय आपदाओं की स्थिति में सूखा, बाढ़, भूकम्प किसी भी स्थिति का सामना करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना, दान प्रदा ऋण अनुदान बैंक व अन्य संस्थाओं से प्राप्त करना तथा प्राप्त आय को संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में व्यय करना।

9. समाज मे कमजोर, पिछडे, मूकबधिर, नेत्रहीन, विधवाओं, बेरोजगारों, अल्पसंख्यकों के लिये शिक्षा व्यवस्था एंव उनके सामाजिक स्तर को उठाने के लिये शैक्षिक एंव कल्याणकारी प्रयास करना।

10. अन्य के सभी कार्य करना जो उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों तथा साथ ही साथ सोसायटी रजि० एक्ट 1860 की धारा 1 व 20 के अन्तर्गत हों।

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एंव सदस्यों के नाम, पता, पद एंव व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है -

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय	हस्ताक्षर
1.	श्री सागर बजाज 9927382818	श्री शिवकुमार बजाज	निवासी मकान नं०02, वार्ड-17, चंदौसी रोड, बिसौली बदायूँ	अध्यक्ष	व्यापार	Sagar
2.	श्री गौरव पाठक 8864864828	श्री सुनील पाठक	निवासी वार्ड नं०-05, बिसौली बदायूँ	उपाध्यक्ष	व्यापार	Gaurav Pathak

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय	हस्ताक्षर
3.	श्री कपिल कथूरिया 9719557742	श्री पुरुषोत्तम लाल कथूरिया	निवासी वार्ड नं०24, म०सं० 8, पुरानी टंकी रोड, बिसौली बदायूँ	मंत्री	व्यापार	कपिल कथूरिया
4.	अंशिका वार्ष्णेय 6399936474	श्री सत्यपाल गुप्ता	निवासी वार्ड नं०10, बिसौली बदायूँ	कोषाध्यक्ष	प्राईवेट कार्य	अंशिका वार्ष्णेय
5.	श्री सक्षम सक्सेना 7351084806	श्री प्रदीप सक्सेना	निवासी मकान नं०25, न्यू तहसील कृष्णा कॉलोनी, वार्ड नं० 13, बिसौली बदायूँ	सदस्य	प्राईवेट कार्य	सक्षम सक्सेना
6.	श्री शिवम वार्ष्णेय 8534092665	श्री प्रदीप कुमार वार्ष्णेय	निवासी वार्ड नं० 18 मकान नं० 19, बुद्ध बाजार रोड, चौकबाजार बिसौली बदायूँ	सदस्य	अध्यापक	Shivam
7.	श्री रविकांत श्रीवास्तव 9368567871	श्री सतीश चंद	निवासी ग्राम दिसौलीगंज पोस्ट सिंगथरा, बिसौली बदायूँ	सदस्य	सर्विस	Ravikant

सभी लिखे हुये साधारण सभा के सदस्यों का विवरण की सूची -

क्रम सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	व्यवसाय
1.	श्री सागर बजाज	श्री शिवकुमार बजाज	निवासी मकान नं० 02, वार्ड-17, चंदौसी रोड बिसौली, बदाँयू	व्यापार
2.	श्री गौरव पाठक	श्री सुनील पाठक	निवासी वार्ड नं० - 05 बिसौली बदाँयू	व्यापार
3.	श्री कपिल कथूरिया	श्री पुरुषोत्तम लाल कथूरिया	निवासी वार्ड नं० 24, म०सं० 8, पुरानी टंकी रोड, बिसौली बदाँयू	व्यापार
4.	अंशिका वार्ष्णेय	श्री सत्यपाल गुप्ता	निवासी वार्ड नं० 10 बिसौली बदाँयू	प्राइवेट कार्य
5.	श्री सक्षम सक्सेना	श्री प्रदीप सक्सेना	निवासी मकान नं० 25, न्यू तहसील, कृष्णा कॉलोनी, वार्ड नं० 13, बिसौली बदाँयू	प्राइवेट कार्य
6.	श्री शिवम् वार्ष्णेय	श्री प्रदीप कुमार वार्ष्णेय	निवासी वार्ड नं० 18 मकान नं० 19, बुद्ध बाजार रोड चौक बाजार बिसौली बदाँयू	अध्यापक
7.	श्री रविकांत श्री वास्तव	श्री सतीश चंद	निवासी ग्राम दिसौलीगंज पोस्ट सिंगधरा, बिसौली बदाँयू	सर्विस

हम निम्न हस्ताक्षरकर्तागण घोषित करते हैं कि हमने इस स्मृति-पत्र तथा नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है।

दिनाँक :- 23/08/2024

हस्ताक्षर :-

	नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री सागर बजाज	Sagar
2.	श्री गौरव पाठक	Gaurav Pathak
3.	श्री कपिल कथूरिया	कपिल कथूरिया
4.	अंशिका वार्ष्णेय	अंशिका वार्ष्णेय
5.	श्री सक्षम सक्सेना	
6.	श्री शिवम वार्ष्णेय	
7.	श्री रविकांत श्रीवास्तव	

नियमावली

1. संस्था का नाम - एलुमिनी एसोसियेशन ऑफ दमयंती राज आनन्द राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिसौली बदायूँ
2. संस्था का पता - रामलीला ग्राउंड के सामने, बिसौली, बदायूँ Budayn, 243720
3. संस्था का कार्यक्षेत्र - समस्त उत्तर प्रदेश
4. संपर्क संख्या - 7409224954
5. संस्था के सदस्यता एवं वर्ग -

सदस्यता के प्रकार	शुल्क	सदस्य बनाने की प्रक्रिया
आजीवन सदस्य	11000	जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु निर्धारित शुल्क एक बार में या इतने ही मूल्य की संपत्ति चल या अचल रूप में देंगे वे संस्था के आजीवन सदस्य होंगे
विशेष सदस्य	5000	संस्था, विशिष्ट सदस्यों को उनके सामाजिक एवं शैक्षिक उपलब्धियों के आधार पर चयनित करती है उनके लिये सदस्यता शुल्क का निर्धारण कार्यकारिणी करेगी

सदस्यता का प्रकार	शुल्क	सदस्य बनाने की प्रक्रिया
सामान्य सदस्य	2000	जो व्यक्ति संस्था के उद्देश्यों में आस्था रखते हैं तथा संस्था के विकास हेतु निर्धारित वार्षिक सदस्यता शुल्क नियमानुसार निस्वार्थ भाव से देते हैं वे संस्था के सामान्य सदस्य होंगे

6. सदस्यता की समाप्ति -
   - मृत्यु हो जाने पर।
   - पागल या दिवालिया हो जाने पर।
   - संस्था के विपरीत हानिकारक कार्य करने पर।
   - अविश्वास प्रस्ताव या त्याग पत्र पारित करने पर।
   - नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर।
   - लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर।
   - नैतिक अपराधों में न्यायलय द्वारा दण्डित होने पर।
7. संस्था के अंग -
   - साधारण सभा
   - प्रबंधकारिणी समिति

- साधारण सभा -

* गठन :- साधारण सभा का गठन आजीवन

सदस्य / Life time Member, विशेष सदस्य / Special Member, सामान्य सदस्य / General Member को मिलाकर किया जायेगा।

* बैठकें :- साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है। असाधारण बैठक की सूचना लिखित या किसी भी माध्यम से 1 से 24 घंटे पूर्व दी जायेगी। सूचना के हेतु अजेंडा जारी किया जायेगा, जिसमें बैठक बुलाने के कारण का उल्लेख होगा।

* सूचना अवधि :- साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व सदस्यों को दी जायेगी।

* गणपूर्ति :- साधारण सभा की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

* विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि :- यह अधिवेशन हर साल के अन्तिम सप्ताह में साधारण सभा द्वारा निर्धारित तिथि अर्थात दिसम्बर माह के आखिरी सप्ताह मे आहूत किया जायेगा इसमें वार्षिक बजट पर विचार होगा।

* साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :-

(i) संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन अपने सदस्यों मे से करना।

(ii) संस्था के आय व्यय पर नियन्त्रण रखना व सालाना रिपोर्ट पास करना।

(iii) कार्यकारिणी समिति में रिक्त होने वाले स्थानों की पूर्ति करना।

(iv) उद्देश्यों की पूर्ति करना व नियमों में परिवर्तन करना।

• प्रबन्धकारिणी समिति :-

* गठन :- साधारण सभा द्वारा निर्वाचित पदाधिकारियों / सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा जिसमें अध्यक्ष -1, उपाध्यक्ष -1, कोषाध्यक्ष -1, मंत्री -1, सदस्य -3 होंगे इस प्रकार कुल संख्या मिलाकर 7 होगी।

* सूचना अवधि :- प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 7 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी।

* बैठके :- प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में चार बार व विशेष बैठक आवस्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है। असाधारण बैठक की सूचना लिखित या किसी भी माध्यम से 1 से 24 घंटे पूर्व दी जायेगी। सूचना के हेतु अजेंडा जारी किया जायेगा, जिसमें बैठक बुलाने के कारण का उल्लेख होगा।

* गणपूर्ति :- प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

* प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एंव कर्त्तव्य :- (1) संस्था संचालन करना और आम सभा द्वारा प्रस्तुत हिसाब-किताब तथा प्रगति रिपोर्ट को स्वीकार करना।
(2) संस्था के हित के लिये योजनाएं बनाना तथा कार्यान्वित करना।
(3) संस्था के उद्देश्यो की पूर्ति प्रबन्ध समिति के सदस्यों/पदाधिकारियों द्वारा की जायेगी। विशेष परिस्थिति मे साधारण सभा 2/3 बहुमत से समाज के प्रगतिशील रचनात्मक समाजसेवी महिला/पुरुष हों जो संस्था के नियमों को जानते हो, संस्था की पूर्ति हेत नामित/मनोनीत किये जायेगें।

* रिक्त स्थानों की पूर्ति :- प्रबन्धकारिणी समिति के अंतर्गत किसी भी प्रकार की आकस्मिक स्थान के रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिये की जाएगी।

* कार्यकाल :- प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 साल का होगा।

* प्रबन्धकारिणी समिति के सामान्य निकाय द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया :- चुनाव मे वह सभी लोग भाग ले सकेगें जिन्होनें नियमानुसार सदस्यता शुल्क अदा करके उचित रसीद प्राप्त की हो तथा जिन्हें साधारण सभा द्वारा मत देने का अधिकार हो, साधारण सभा द्वारा चुनाव के लिये आहूत नियमानुसार बैठक मे समस्त पदाधिकारी एंव सदस्यों का चुनाव कम से कम एक प्रस्तावक और एक अनुमोदक के द्वारा होना अनिवार्य होगा। प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों मे से किया जायेगा, प्रबन्धकारिणी समिति मे पदाधिकारियों सहित सदस्यों की संख्या कम से कम 7 व अधिकतम 25 सदस्य होगें, जो आवश्यकता अनुसार कभी भी घटायें - बढ़ायें जा सकेगें।

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य :-

1. अध्यक्ष :- (i) संस्था की आम सभा तथा कार्यकारिणी समिति की सभाओं की अध्यक्षता करना।
(ii) संस्था का हिसाब किताब रखना तथा सम्बन्धित कागजातों को तैयार करना।
(iii) सरकारी अर्धसरकारी विभागों से पत्र व्यवहार करना।
(iv) संस्था के आय-व्यय की स्वीकृति हेतु आम सभा के समक्ष प्रस्तुत करना।
(v) संस्था के खर्च आदि के वाउचर स्वीकार करना।
(vi) संस्था का कार्य चलाने हेतु कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, सेवामुक्ति एवं वेतनवृद्धि करना।
(vii) संस्था के चलाने हेतु व्यक्तिगत सरकारी, अर्द्धसरकारी विभागों तथा खादी ग्रामोद्योग से ऋण लेना।
(viii) संस्था में कागजात अपने संरक्षण में रखेगा।
(ix) बैठक में समान मत होने पर निजी मत के अतिरिक्त एक निर्णायक मत देना जो कि अन्तिम होगा और पदाधिकरियों को मान्य होगा।

2. उपाध्यक्ष :- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्यों को करना तथा उनके कार्यों में सहयोग करना।

3. मंत्री :- (i) आम सभा और कार्यकारिणी समिति की बैठकों को बुलवाना तथा उनका प्रबन्ध करना व बैठकों की कार्यवाही पुस्तकों में अंकित करना।
(ii) संस्था के हितार्थ जो भी कार्यकारिणी समिति सौंपे अथवा संस्था के उद्देश्यों हेतु कार्य करना।
(iii) संस्था के कार्यों का निरीक्षण करना व अपने अमूल्य सुझाव देना।
(iv) संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
(v) बैठकों की कार्यवाही को कार्यवाही रजिस्टर में लिपिबद्ध करना व उसको बैठक में पढ़वाकर सुनवाना।

4. कोषाध्यक्ष :- (i) आय-व्यय का हिसाब-किताब रखना।
(ii) अध्यक्ष द्वारा दिये गये बिलों पर सहमति प्रदान करना तथा एक हजार रूपये की धनराशि तक नकद रखना।

5. सदस्य :- अपना मत देने का अधिकार होगा।

संस्था का कोष

पदाधिकारी

1. अध्यक्ष
2. कोषाध्यक्ष

आय के स्त्रोत

1. Foreign Grants
2. Government Donation
3. Government Loan
4. Maintenance amount
5. Membership Fee
6. Other Sources
7. Remittance
8. Self Money Generation

संस्था के नियमों एंव विनियमों मे संशोधन की प्रक्रिया

साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से परिवर्तन या परिवर्धन किया जायेगा।

संस्था का कोष

संस्था का कोष किसी राष्ट्रीकृत बैंक अथवा शिड्यूलड बैंक, पोस्ट ऑफिस, या प्राइवेट बैंक में संस्था के नाम से खाता खोल कर जमा किया जायेगा, जिसका संचालन अध्यक्ष स्वम

कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा।

संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती से संचालन का उत्तरदायित्व

यदि संस्था किसी न्यायलय में कोई वाद दायर करेगी अथवा संस्था के विरुद्ध कोई वाद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दायर किया जायेगा तो इसके संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था के अध्यक्ष का होगा।

संस्था के आय व्यय का लेखा परिक्षण (ऑडिट)

संस्था के आय व्यय का लेखा परिक्षण प्रतिवर्ष सुयोग्य ऑडिटर द्वारा कराया जायेगा।

संस्था के अभिलेख

1. सदस्यता रजिस्टर
2. कार्यवाही रजिस्टर
   (a) साधारण सभा
   (b) कार्यकारी निकाय
3. स्टाक रजिस्टर
4. लेजर बुक
5. कैश बुक
6. सदस्यता शुल्क रसीद बुक
7. दान रसीद बुक

विघटन

संस्था का विघटन तथा समाप्ति की कार्यवाही सोसाइटीज रैजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।